बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आदेश संख्या– 1/PMC/विविध/879/2012–380 पटना, दिनांक– 3/5/2017

विभागीय आदेश संख्या– 1/ PMC/विविध/879/2012–909 दिनांक– 17.02.2015 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (i)–(X) में अंकित कदाचार के लिए कालीकरण की अवधि का निर्धारण किया गया था।

2. उपर्युक्त विभागीय आदेश संख्या– 1/PMC/विविध/879/2012–909 दिनांक– 17.12.2015 को आदेश निर्गत करने के कारणों के वर्णन के साथ विभागीय आदेश संख्या– 1/PMC/विविध/879/2012–201 दिनांक– 14.03.2016 से प्रतिस्थापित किया गया।

3. योजनाओं की समीक्षा के क्रम में विभाग के संज्ञान में यह मामला सामने आया कि अगर संवेदकों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता असंतोषजनक रहती है तो संवेदकों को कितने वर्षों के लिए कालीकरण/निलंबन किया जाए, इसका प्रावधान उपर्युक्त विभागीय आदेश में नहीं है।

4. सम्यक समीक्षोपरात एवं विमर्शोपरांत यह निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने की स्थिति में संवेदक को कालीकृत/निलंबन करने की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित की जाय।

5. उपर्युक्त के क्रम में विभागीय आदेश– 1/PMC/विविध/879/2012–201 दिनांक– 14.03.2016 की दड निर्धारण की तालिका के कंडिका "1" के उप कंडिका 1(g) के रूप में निम्नरूपेण अन्तः स्थापित किया जाता है :–

क्र0	कदाचार	कालीकरण/निलंबन की अवधि
1.	(g) किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने पर।	5 वर्षों के लिए कालीकृत

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
3. विभागीय आदेश– 1/PMC/विविध/879/2012–201 दिनांक– 14.03.2016 के अन्य बिन्दु यथावत् रहेंगे।
4. उक्त आदेश पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

Y.Singh 3.5.17
योगेश्वर धारी सिंह
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/879/2012 — 380 पटना, दिनांक– 3/5/2017

प्रतिलिपि – सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अचल/सिंचाई/उड़नदस्ता अंचल–1/2/काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Y.Singh 3.5.17
योगेश्वर धारी सिंह
सयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/879/2012 — 380 पटना, दिनांक– 3/5/2017

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

Y.Singh 3.5.17
योगेश्वर धारी सिंह
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

fazal/ draft 101